संख्या- 44 /2024/ I/717349/2024 /001-71-4099-645-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष-2024-25 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कालेज हेतु कालेज भवन, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2024/951, दिनांक-20.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कालेज हेतु कालेज भवन, लाइब्रेरी, छात्रावास आदि भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्त व्यय समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 18841.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-14 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा हेतु 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 4000.00 लाख (रुपये चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजना निर्माण लागत पर 05 प्रतिशत की कमी के उपरान्त प्राप्त लागत पर 01 प्रतिशत आकस्मिक व्यय एवं 02 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज अनुमन्य होगा।
3. प्रयोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्यमदों जिनकी लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें।
4. प्रायोजना में सम्मिलित कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

5. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लेयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदारी संस्था/संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी का होगा।
7. प्रायोजन की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त की निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अर्न्तगत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाली संस्था /संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदारी संस्था/संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी की होगी।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
14. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत एवं निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
16. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
17. कार्यदायी संस्था को, कार्य की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
18. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
19. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-85/दस-2024-25 दिनांक 08-08-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।